



खण्ड – "ख"

(जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के व्यवहार हेतु)

कल्याण व्यवस्थापक का जाँच प्रतिवेदन

14. आवेदक का व्यक्तिगत रूप से स्थल/स्थान का निरीक्षण किया गया तथा सही पाया गया/सही नहीं पाया गया है। इस आवेदक को ₹ ..... मात्र (रूपये ..... मात्र) की आर्थिक सहायता दो किशतों (75% और 25%) भुगतान हेतु अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है। इनका नाम कार्यालय पंजी के क्रमांक ..... दर्ज है।

दिनांक : (कल्याण व्यवस्थापक का नाम एवं हस्ताक्षर)

(जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा)

15. कल्याण व्यवस्थापक श्री ..... के जाँच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर आवेदक को ₹ ...../- (रूपये ..... मात्र) दो किशतों (75% और 25%) भुगतान करने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, .....

खण्ड – "ग"

सैनिक कल्याण निदेशालय

16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, संलग्न दस्तावेजों, अन्य साक्ष्य अभिलेखों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर ₹ ..... (रूपये ..... मात्र) आर्थिक सहायता दो किशतों (75% और 25%) देने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : सहायक निदेशक  
सैनिक कल्याण निदेशालय  
झारखण्ड, राँची

17. आवेदक के आवेदन, संलग्न दस्तावेजों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी और सहायक निदेशक के अनुशंसा उपरांत आवेदक को ₹ ..... (रूपये ..... मात्र) आर्थिक सहायता दो किशतों (75% और 25%) भुगतान को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक : निदेशक  
सैनिक कल्याण निदेशालय  
झारखण्ड, राँची